

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

वइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या:-23/2011/दावा

1. सुणाराम पुत्र घीसाराम जाति बलाई निवासी पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

-वादी

बनाम

1. केशाराम पुत्र घीसाराम
  2. मांगूराम पुत्र घीसाराम (फौत)
    - 2/1. लक्ष्मण
    - 2/2. रामेश्वर
    - 2/3. नानूराम
    - 2/4. प्रभूदयाल
    - 2/5. बंशी } पुत्रगण स्व.मांगूराम
  - 2/6. सोनीदेवी पत्नि स्व. मांगूराम
  - 2/7. गीता पुत्री स्व. मांगूराम
  - 2/8. माया पुत्री स्व. मांगूराम
- समस्त जाति बलाई निवासीगण कुशालपुरा तन पचार तहसील दांतारामगढ।
3. छींगनाराम पुत्र घीसाराम
  4. सुवालाल पुत्र घीसाराम
  5. मन्नाराम पुत्र भैरूराम
  6. छोटूराम पुत्र भैरूराम
  7. गौरूराम पुत्र भैरूराम
  8. भागचन्द पुत्र भैरूराम (फौत)
    - 8/1. सोनू
    - 8/2. मनोज
    - 8/3. पप्पू } पुत्रगण स्व. भागचन्द
  - 8/4. कमली पत्नि स्व. भागचन्द
  9. भागीरथ पुत्र भैरूराम
  10. लछुदेवी पत्नि भैरूराम
- समस्त जाति बलाई निवासीगण कुशालपुरा तन पचार तहसील दांतारामगढ।
11. पटवारी, पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
  12. उप पंजीयन महोदय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
  13. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसाणार्थ

उपस्थिति:

1. श्री रामेश्वर प्रसाद बाज्या वकील वादी की ओर सें।
2. श्री रतनलाल सैन वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2/1 ता 2/8, 3 लगायत 7, 8/1 ता 8/4 व 9 की ओर सें।
3. शेष प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।


  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

निर्णय

दिनांक - 14.12.2020

1. वाद में वादी का कथन व वादसार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 157 से 164 खसरा नम्बर 170 से 182 व खसरा नम्बर 247/2944 किता 22 कुल रकबा 33.47 है0 वाके ग्राम कुशालपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें स्व. घीसाराम पुत्र मंगलाराम का 1/8 हक हिस्सा एवं खातेदारी है तथा स्व. घीसाराम के हिस्से में 4.18 हैक्टर भूमि है तथा भूमि खसरा नम्बर 91, 153, 154, 154/3055, 155, 156, 92, 94/2768 कुल किता 8 कुल रकबा 14.47 हैक्टर वाके ग्राम कुशालपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्व. घीसाराम पुत्र मंगलाराम का 1/6 हक हिस्सा खातेदारी में है। जिसमें स्व. घीसाराम पुत्र मंगलाराम के हिस्से में 2.4116 हैक्टर भूमि आती है। वादी व प्रतिवादी की वंशावली इस प्रकार है -

घीसाराम पुत्र मंगलाराम (फौत)



३२०

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

स्व. घीसाराम पुत्र मंगलाराम के वारीशान के मध्य आपसी सहमति एवं स्वीकृति से राजीनामा हुआ तथा मुताबिक राजीनामा के (1.) भैरूराम पुत्र घीसाराम 1/1. मन्नाराम पुत्र स्व. भैरूराम, 1/2. छोटूराम पुत्र स्व. भैरूराम, 1/3. गौरूराम पुत्र स्व. भैरूराम, 1/4. भागचन्द पुत्र स्व. भैरूराम, 4/1. सोनूराम पुत्र स्व. भागचन्द, 4/2. मनोज पुत्र स्व. भागचन्द, 4/3. पप्पूराम पुत्र स्व. भागचन्द, 4/4. कमला देवी पत्नि स्व. भागचन्द, 1/5 भागीरथ पुत्र भैरूराम, 1/6 फूली देवी पुत्री भैरूराम के हिस्से 1.21 हैक्टर (2) केशाराम पुत्र घीसाराम के हिस्सा 1.21 हैक्टर (3) मांगुराम पुत्र घीसाराम (फौत) 3/1. लक्ष्मण पुत्र मांगुराम, 3/2. रामेश्वर पुत्र मांगुराम, 3/3. नानूराम पुत्र मांगुराम, 3/4. प्रभूदयाल पुत्र मांगुराम, 3/5. बंशीलाल पुत्र मांगुराम, 3/6. सोनीदेवी पत्नि मांगुराम, 3/7. गीतादेवी पुत्री मांगुराम, 3/7. मायादेवी पुत्री मांगुराम के हिस्सा 0.76 हैक्टर (4) सुणाराम पुत्र घीसाराम के हिस्सा 1.10 हैक्टर (5) छिगना पुत्र घीसाराम के हिस्सा 1.21 हैक्टर (6) सुवाराम पुत्र घीसाराम के हिस्से 1.10 हैक्टर भूमि आयेगी। वादकारण दिनांक 1.02.2011 को प्रतिवादीगण द्वारा वसियत दिनांक 31.12.1990 के मुताबिक नामान्तकरण तस्दीक करवाने से उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर एवं निर्बाध रूप से जारी है। अतः वादी अन्त में वाद प्रस्तुत कर यह इस्तदुआ चाही कि खसरा नम्बर 157 से 164 खसरा नम्बर 170 से 182 व खसरा नम्बर 247/2944 कुल रकबा 33.47 है० वाके ग्राम कुशालपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर एवं भूमि खसरा नम्बर 91, 153, 154, 154/3055, 155, 156, 92, 94/2768 कुल किता 8 कुल रकबा 14.47 हैक्टर वाके ग्राम कुशालपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी से मृतक खातेदार स्व. घीसाराम पुत्र मंगलाराम का नाम हजफ कर उसके स्थान पर (1.) भैरूराम पुत्र घीसाराम 1/1. मन्नाराम पुत्र स्व. भैरूराम, 1/2. छोटूराम पुत्र स्व. भैरूराम, 1/3. गौरूराम पुत्र स्व. भैरूराम, 1/4. भागचन्द पुत्र स्व. भैरूराम, 4/1. सोनूराम पुत्र स्व. भागचन्द, 4/2. मनोज पुत्र स्व. भागचन्द, 4/3. पप्पूराम पुत्र स्व. भागचन्द, 4/4. कमला देवी पत्नि स्व. भागचन्द, 1/5 भागीरथ पुत्र भैरूराम, 1/6

  
 उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ


फूली देवी पुत्री भैरूराम के हिस्से 1.21 हैक्टर (2) केशाराम पुत्र घीसाराम के हिस्सा 1.21 हैक्टर (3) मांगुराम पुत्र घीसाराम (फौत) 3/1. लक्ष्मण पुत्र मांगुराम, 3/2. रामेश्वर पुत्र मांगुराम, 3/3. नानूराम पुत्र मांगुराम, 3/4. प्रभूदयाल पुत्र मांगुराम, 3/5. बंशीलाल पुत्र मांगुराम, 3/6. सोनीदेवी पत्नि मांगुराम, 3/7. गीतादेवी पुत्री मांगुराम, 3/8. मायादेवी पुत्री मांगुराम के हिस्सा 0.76 हैक्टर (4) सुणाराम पुत्र घीसाराम के हिस्सा 1.10 हैक्टर (5) छिगना पुत्र घीसाराम के हिस्सा 1.21 हैक्टर (6) सुवाराम पुत्र घीसाराम के हिस्से 1.10 हैक्टर भूमि में से पैतृक हक हिस्सा 1/6 का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के आदेश पारित किया जाना न्याय संगत है तथा वादी के नाम खातेदारी की उद्घोषणा होने तक प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त पैत्रिक संपदा को किसी भी प्रकार से खुरदबुर्द कर वादी के उपयोग-उपभोग में दखलंदाजी करने आदि से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2/1, ता 2/8, 3 लगायत 7, 8/1 ता 8/4 व 9 की ओर से वकील श्री रतनलाल सैन हाजिर आये। शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत लगायत 2/1, ता 2/8, 3 लगायत 7, 8/1 त, 8/4 व 9 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया गया। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण की वाद में सहमति के आधार पर वादी का वाद प्रथम दृष्ट्या स्वीकार होने योग्य है। प्रतिवादीगण की सहमति पर तथा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद में उद्घोषणा इस प्रकार की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 157 से 164 खसरा नम्बर 170 से 182 व खसरा नम्बर 247/2944 किता 22 कुल रकबा 33.47 है0 में दर्ज हिस्सा 1/8 वाके ग्राम

  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

कुशालपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर एवं भूमि खसरा नम्बर 91, 153, 154, 154/3055, 155, 156, 92, 94/2768 कुल किता 8 कुल रकबा 14.47 हैक्टर दर्ज हिस्सा 1/6 वाके ग्राम कुशालपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी से मृतक खातेदार स्व. घीसाराम पुत्र मंगलाराम का नाम हजफ कर उसके स्थान पर (1.) भैरूराम पुत्र घीसाराम 1/1. मन्नाराम पुत्र स्व. भैरूराम, 1/2. छोटूराम पुत्र स्व. भैरूराम, 1/3. गौरूराम पुत्र स्व. भैरूराम, 1/4. भागचन्द पुत्र स्व. भैरूराम, 4/1. सोनूराम पुत्र स्व. भागचन्द, 4/2. मनोज पुत्र स्व. भागचन्द, 4/3. पप्पूराम पुत्र स्व. भागचन्द, 4/4. कमला देवी पत्नि स्व. भागचन्द, 1/5 भागीरथ पुत्र भैरूराम, 1/6 फूली देवी पुत्री भैरूराम के हिस्से 1.21 हैक्टर (2) केशाराम पुत्र घीसाराम के हिस्सा 1.21 हैक्टर (3) मांगुराम पुत्र घीसाराम (फौत) 3/1. लक्ष्मण पुत्र मांगुराम, 3/2. रामेश्वर पुत्र मांगुराम, 3/3. नानूराम पुत्र मांगुराम, 3/4. प्रभूदयाल पुत्र मांगुराम, 3/5. बंशीलाल पुत्र मांगुराम, 3/6. सोनीदेवी पत्नि मांगुराम, 3/7. गीतादेवी पुत्री मांगुराम, 3/7. मायादेवी पुत्री मांगुराम के हिस्सा 0.76 हैक्टर (4) सुणाराम पुत्र घीसाराम के हिस्सा 1.10 हैक्टर (5) छिगना पुत्र घीसाराम के हिस्सा 1.21 हैक्टर (6) सुवाराम पुत्र घीसाराम के हिस्से 1.10 हैक्टर हिस्से का खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। डिक्री जारी हो। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक- 14.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अशोक कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

# अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

सुणाराम

बनाम

केशाराम आदि

दावा बाबत रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

मुकदमा नं० 23/दावा सन् 2011

निर्णय दिनांक. 14.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी श्री रामेश्वरप्रासद बाज्या मिनजानिब मुद्दई व श्री रतनलाल सैन मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2/1 ता 2/8, 3 लगायत 7, 8/1 ता 8/4 व 9 की ओर सें पेश राजीनामे के आधार पर अंतिम डिक्री इस प्रकार सें जारी की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 157 से 164 खसरा नम्बर 170 से 182 व खसरा नम्बर 247/2944 किता 22 कुल रकबा 33.47 है० वाके ग्राम कुशालपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर एवं भूमि खसरा नम्बर 91, 153, 154, 154/3055, 155, 156, 92, 94/2768 कुल किता 8 कुल रकबा 14.47 हैक्टर वाके ग्राम कुशालपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी से मृतक खातेदार स्व. घीसाराम पुत्र मंगलाराम का नाम हजफ कर उसके स्थान पर (1.) भैरूराम पुत्र घीसाराम 1/1. मन्नाराम पुत्र स्व. भैरूराम, 1/2. छोटूराम पुत्र स्व. भैरूराम, 1/3. गौरूराम पुत्र स्व. भैरूराम, 1/4. भागचन्द पुत्र स्व. भैरूराम, 4/1. सोनूराम पुत्र स्व. भागचन्द, 4/2. मनोज पुत्र स्व. भागचन्द, 4/3. पप्पूराम पुत्र स्व. भागचन्द, 4/4. कमला देवी पत्नि स्व. भागचन्द, 1/5 भागीरथ पुत्र भैरूराम, 1/6 फूली देवी पुत्री भैरूराम के हिस्से 1.21 हैक्टर (2) केशाराम पुत्र घीसाराम के हिस्सा 1.21 हैक्टर (3) मांगुराम पुत्र घीसाराम (फौत) 3/1. लक्ष्मण पुत्र मांगुराम, 3/2. रामेश्वर पुत्र मांगुराम, 3/3. नानूराम पुत्र मांगुराम, 3/4. प्रभूदयाल पुत्र मांगुराम, 3/5. बंशीलाल पुत्र मांगुराम, 3/6. सोनीदेवी पत्नि मांगुराम, 3/7. गीतादेवी पुत्री मांगुराम, 3/7. मायादेवी पुत्री मांगुराम के हिस्सा 0.76 हैक्टर (4) सुणाराम पुत्र घीसाराम के हिस्सा 1.10 हैक्टर (5) छिगना पुत्र घीसाराम के हिस्सा 1.21 हैक्टर (6) सुवाराम पुत्र घीसाराम के हिस्से 1.10 हैक्टर हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख-14.12.2020 को जारी की गई।



दस्तखत ओहदा  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुद्दाई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा ...	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत .....	-	-	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील ...	-	-	खर्चा गवाहान .....		
खर्चा गवाहान ...	-	-	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर .....	-	-	वावत इजराय हुक्मनामा .....		
वावत इजराय हुक्मनामा ...	-	-	मुतफरिक .....	0	00
मुतफरिक ...	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, वाहे डिकरी क जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

  
 (अधीक वुसुअर)  
**उपरवाह अधिकारी, दालारामगढ**  
 उपखण्ड अधिकारी, दालारामगढ